



कार्यालय मुख्य अभियन्ता (स्तर-1)  
ग्रामीण निर्माण विभाग,  
तपोवन मार्ग, रायपुर रोड, उत्तराखण्ड देहरादून।  
E-mail- hod.res.uk@gmail.com, Ph. No. 2780290 Website www.res.uk.gov.in




पत्रांक 606 / ग्रा0नि0वि/कनि0/अपर सहा0अभि0(सिविल)/स्थाना0/2024-25 दिनांक 22 जून, 2024।

(स्थानान्तरण निरस्तीकरण आदेश)

इस कार्यालय के आदेश संख्या-494 दिनांक 10.06.2024 के द्वारा स्थानान्तरण समिति की संस्तुति के आधार पर कनिष्ठ/अपर सहायक अभियन्ताओं के स्थानान्तरण किये गये थे, एवं आदेश संख्या-524 दिनांक 13.06.2024 के द्वारा उक्त आदेश के क्रमांक 02 एवं 17 पर अंकित अभियन्ताओं के स्थानान्तरण अग्रिम आदेशों तक स्थगित किये गये थे।


अतः क्रमांक 02 एवं 17 पर अंकित अपर सहायक अभियन्ताओं के स्थानान्तरण आदेश स्थानान्तरण अधिनियम 2017 की धारा-17(2)(घ) से आच्छादित होने के फलस्वरूप एतद्द्वारा निरस्त किये जाते हैं।  
शेष यथावत रहेगा।

  
मुख्य अभियन्ता (स्तर-1),  
ग्रामीण निर्माण विभाग,  
उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्रांक एवं दिनांक उपरोक्तानुसार

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- अपर सचिव, ग्रामीण निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड शासन देहरादून।
- 2- मुख्य अभियन्ता (स्तर-2), ग्रामीण निर्माण विभाग, भीमताल (नैनीताल)।
- 3- अधीक्षण अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग, परिमण्डल पौड़ी/देहरादून।
- 4- अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग, प्रखण्ड हरिद्वार/टिहरी/रूद्रप्रयाग।
- 5- जिलाधिकारी, हरिद्वार/टिहरी/रूद्रप्रयाग।
- 6- मुख्य विकास अधिकारी, हरिद्वार/टिहरी/रूद्रप्रयाग।
- 7- मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी, हरिद्वार/टिहरी/रूद्रप्रयाग।
- 8- सम्बन्धित कार्मिक द्वारा अधिशासी अभियन्ता ग्रामीण निर्माण विभाग, प्रखण्ड हरिद्वार/टिहरी/रूद्रप्रयाग।
- 9- व्यक्तिगत पत्रावली/कार्यालय आदेश पत्र बन्ध।
- 10- विभागीय वेबसाईट/अपलोड किये जाने हेतु।

  
मुख्य अभियन्ता (स्तर-1),  
ग्रामीण निर्माण विभाग,  
उत्तराखण्ड, देहरादून।